



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी शशी लाल शर्मा

1/310 विकास मंगल लखनऊ

पत्रांक

2913

नि० प्र०

दिनांक 6.10.17

भवन/भूखण्ड संख्या/खजाना संख्या 1/310 योजना विकास मंगल नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 20.9.17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2012/329/1 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 6.10.17 से 5.10.22 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये राशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूगल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा गगरी हेतु 111.47 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये, 12000 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

2. Kalpana  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं०

/ उपरोक्त

/ तददिनांक

प्रतिलिपि -

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय विकास मंगल उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. Kalpana  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
0/c.v.  
4.10.17



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6..

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी पिनैश बाबू शर्मा  
4/1000 विकास नगर, लखनऊ  
9415 90 4888

पत्रांक 9981

नि० प्र० - 2017/335

दिनांक 16.10.17

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या 4/1000 योजना विकास नगर नगर लखनऊ  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 15.9.17 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017/335  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 16.10.17 से 15.10.22 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मर्मटी हेतु 122.45 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 222.61 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

2. Kalyan  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं०

/ उपरोक्त

/ तददिनांक

प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद नील गिरी काम्पलेक्स  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इन्दिरा नगर लखनऊ
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (विकास नगर) उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ  
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

o/c

16-10-17

2. Kalyan  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी शमीम खातून  
7/621, विकास नगर  
लखनऊ

पत्रांक 2966-

नि० प्र०-2017/331

दिनांक 12-10-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/~~खसस संख्या~~ 7/621 योजना विकास नगर नगर लखनऊ  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 11-09-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2017/331  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 12-10-2017 से 11-10-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण  
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों  
सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूखण्ड, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 96.61 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये..  
1800.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित  
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

J. Kalyan  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० 2966 - /उपरोक्त / तददिनांक 12-10-2017  
प्रतिलिपि :-

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद नीलगिरी काम्पलेक्स  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इन्दिरा नगर लखनऊ
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय विकास नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ  
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

J. Kalyan  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-षष्ठम्

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी अनिल कुमार जीवास्तव एवं जीगती मनीषा जीवास्तव  
5/256 विकास नगर  
लखनऊ

पत्रांक 3018

नि० प्रा० 2016/203/2

दिनांक 07/10/16

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 5/256 योजना विकास नगर नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 8-8-16 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 2016/203/2 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 07/10/16 से 06/10/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा मम्दी हेतु 118.09 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 182.68 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
- यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 118.09 वर्गमी० भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पृ० सं० 3018 /उपरोक्त /  
 प्रतिलिपि:-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
 तददिनांक 07/10/16

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद नीलगिरी काम्पलेक्स इन्दिरा नगर लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र(एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (विकास नगर गो०) उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद विकास नगर लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं०-5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी नन्दित कुमार जीवास्तव एवं जीगती कविता जीवास्तव

1/180 विकास नगर

लखनऊ

पत्रांक 3017

नि० प्रा० 2016/217/2

दिनांक 07/10/16

भवन/भूखण्ड संख्या/खम्सा संख्या 1/180 योजना विकास नगर नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 23-9-16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2016/217/2 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 07/10/16 से 06/10/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूखण्ड, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 144.93 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये, 253.00 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 3017 / उपरोक्त  
प्रतिलिपि :-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 07/10/16

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (विकास नगर), उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास नगर लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-षष्ठम्

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

✓ श्री/श्रीमती/कुमारी इश्वरी लाल टम्टा  
1/814 विकास नगर  
लखनऊ

पत्रांक

1357

नि० प्रा० 2017/275/2

दिनांक

16/5/17

✓ भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 1/814 योजना विकास नगर नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 28-4-17 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 2017/275/2 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 16/5/17 से 15/5/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति ~~बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा ममटी~~ हेतु 158.73 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 264.82 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
- यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 158.73 वर्गमी० भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पृ० सं०

1357

/उपरोक्त

प्रतिलिपि:-

✓ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक 16/5/17

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद इन्दिरा नगर  
लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (विकास नगर योजना) उ०प्रा० आवास एवं विकास परिषद विकास नगर  
लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं०-5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

✓ विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-6

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी कृष्णा कुमारी तिवारी  
2/644 विकास नगर, लखनऊ  
लखनऊ

पत्रांक 543

नि० प्र० 2016/161

दिनांक 26/2/16

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 2/644 योजना विकास नगर नगर लखनऊ  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 12.2.16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 2016/161  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 26/2/16 से 25/2/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 205.40 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये.. 328.35 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13..... उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 543 / उपरोक्त  
प्रतिलिपि :-

26.2.16  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
/ o/c तददिनांक 26/2/16

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 इन्दिरा नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय विकास नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ  
को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

26.2.16  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
/ o/c



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई...6.

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुनील लाल

..... 4/248 विकास नगर

..... लखनऊ

पत्रांक

420

नि० प्र० 2016/171

दिनांक 17/2/16

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 4/248 योजना विकास नगर नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 5.2.16 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या.....

..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों

के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत

पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 17/2/16 से 16/2/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 96.10 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 127.50 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।

4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं०

420

/उपरोक्त

o/c विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तद्दिनांक 17/2/16

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 विकास नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय विकास नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Prasad Kumar  
[Signature]

[Signature]  
विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
17.2.16



स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी अतुल कुमार गोविल  
4/237 विकास नगर  
लखनऊ - 226022

पत्रांक

2456

नि० प्रा० 2016/180/3

दिनांक 12/8/16

भवन/भूखण्ड-संख्या/खसरा संख्या 4/1107 योजना विकास नगर नगर लखनऊ निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14-5-16 के क्रम में नि० प्रा० रजिस्टर संख्या 2016/180/3 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 12/8/16 से 11/8/2021 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
- यह स्वीकृति बेसमेन्ट, भूतल, प्रथम तल द्वितीय तल तथा छप्पटी हेतु 89.17 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिए 112.91 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
- यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
- 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना है।
- यह स्वीकृति प्रथम चरण में केवल भूतल तक 89.17 वर्गमी० भूखण्ड के क्षेत्रफल में निर्माण हेतु प्रदान की जाती है भूतल तक निर्माण स्वीकृति के अनुरूप होने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता कि रिपोर्ट के बाद ही द्वितीय चरण में अन्य तलों का मानचित्र स्वीकृत किया जायेगा।

पृ० सं०  
प्रतिलिपि:-

2456

/ उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
तददिनांक

12/8/16

- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद नीलगिरी काम्पलेक्स इन्दिरा नगर लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय (विकास नगर यो०) उ० प्रा० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं०-5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी योगिता आशुवाल  
पत्र संख्या 12/83/क/2/12  
विकास कार्यालय, लखनऊ

पत्रांक 2288 -

नि० प्रा० 81/2017

दिनांक 1-8-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसस संख्या 12/83 योजना विकास कार्यालय नगर लखनऊ  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 25/07/2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 132  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 1-8-2017 से 31-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति ~~1622~~ प्रथम तल, ~~1622~~ तथा ममटी हेतु 109.70 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये, 1622 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

पृ० सं० 2288  
प्रतिलिपि :-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
/उपरोक्त 11/8/17 तददिनांक 1-8-2017

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय विकास कार्यालय उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
11/8/17